an>

Title: Introduction of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Bill, 2017 (Insertion of new sections 6A to 6D).

श्री सुधीर गुप्ता (मंदसौर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्वापक औÂषधि और मन:पूभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985."

The motion was adopted.

श्री सुधीर गुप्ता: माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।